न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./39/2020/बाड़मेर

अपीलांट

1. हेमाराम पुत्र बुधराराम जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी जाणियावास, नांद तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.केसीदेवी पत्नी मूलाराम
2.खेमाराम पुत्र मूलाराम
3.पोकरराम पुत्र मूलाराम
4.हुकमाराम पुत्र मूलाराम
5.जेठाराम पुत्र मुलाराम
6.सगराराम पुत्र उदाराम का.मु.
6/1डालूराम पुत्र सगराराम
6/2केसाराम पुत्र सगराराम
7.बालाराम पुत्र आसूराम
8.रामाराम पुत्र आसूराम
9.हरूराम पुत्र आसूराम
10.रूपोंदेवी पत्नी आसूराम
11.धर्माराम पुत्र उम्मेदाराम जातियान जाट निवासी जाणियावास, नांद तहसील व जिला बाड़मेर
12.सरपंच, ग्राम पंचायत नांद तहसील बाड़मेर
13.आसूराम पुत्र गोमाराम
14.भानाराम पुत्र गोमाराम का.मु.
14/1सेरूदेवी पत्नी भानाराम
14/2भोमाराम पुत्र भानाराम
14/3मदाराम पुत्र भानाराम उम्र 17 वर्ष नबालिग जरिये कुदरती वलीया माता सेरूदेवी पत्नी भानाराम
15.चम्पा पत्नी बुधराराम जातियान जाट निवासी जाणियावास, नांद तहसील व जिला बाड़मेर
16.प्रबन्धक मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा विशाला
17.तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 1417/2015 बअनवान हेमाराम वगैरा बनाम केसीदेवी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 09.05.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी, श्री मेघाराम जाखड़ अपीलान्ट की ओर से उप.।
2. रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

निर्णय

दिनांकः— 04.11.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा जाणियावास पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 156 रकबा 57.06 बीघा की आयी हुई है जिसमें आने जाने हेतु कोई कटाण मार्ग नहीं है तथा कटाण मार्ग न होने के कारण अपीलांट अपने खातेदारी के भूमि से सड़क मार्ग तक नहीं आ जा सकते है तथा बरसात के समय काश्तकारों द्वारा मार्ग की भूमि पर काश्त कर लेने के कारण अपीलांट को सड़क मार्ग तक नही आ जा सकते है तथा वर्तमान में अपीलांट अपने खेत खसरा संख्या 357/261 व 373/259 व सरकारी भूमि खसरा संख्या 361/265 में से होकर जाते है जहां पर कदीमी रास्ता उपलब्ध है परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित न होने के कारण अपीलांट को सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट के नाम सम्मन जारी किये गये तथा तहसीलदार बाड़मेर से मौका रिपोर्ट तलब की गई जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक ने कैम्प कोर्ट दिनांक 09.05.2018 में बैठकर ही अपने स्तर अटल सेवा केन्द्र नांद में मनगढत व बनावटी बिना अपीलांट को सूचना दिये व बिना मौका की जांच किये ही मौका रिपोर्ट को एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा उसकी अनुपस्थिति में ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं किया गया जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना के अनुपस्थित आये जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंटगण के नाम सम्मन जारी किये गये तथा उनकी तलबी किये बिना ही अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया गया। तहसीलदार बाड़मेर से मौका रिपोर्ट तलब की गई जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक ने कैम्प कोर्ट दिनांक 09.05.2018 में बैठकर ही अपने स्तर अटल सेवा केन्द्र नांद में मनगढत व बनावटी बिना अपीलांट को सूचना दिये व बिना मौका की जांच किये ही मौका रिपोर्ट को एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा उसकी अनुपस्थिति में ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम है व सुविधाजनक है विप्रार्थीगण के सेढे से रास्ता प्रस्तावित किया गया फिर भी अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय ने इतने महत्वपूर्ण कानूनी तथ्यों को नजर अंदाज कर अपीलांट का आवेदन पत्र को विधि विरूद्ध जाकर खारिज कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अरसा 20 दिन पूर्व अपीलांट स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय में जाकर अपनी फाईल के बारे में जानकारी प्राप्त की तो जानकारी हुई कि उक्त पत्रावली का निर्णय दिनांक 09.05.2018 को किया जा चुका है। जिस पर अपीलांट ने दूसरा अधिवक्ता नियुक्त कर आलोच्य आदेश की नकल दिनांक 23.09.2020 को प्राप्त की तो अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है अपीलांट के कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है इसलिए कारण को संतोषजनक मानते हुए तथा हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर इसे खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया गया जिसकी सूचना/नोटिस अपीलांट को नहीं दिया गया तथा अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन हस्तगत आवेदन का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि से परे जाकर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द दिनांक 09.05.2018 के अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उसे एकपक्षीय रूप से मौके पर गये बिना ही तैयार की दी गई प्रतीत होती है क्योंकि इसकी पूर्व सूचना पक्षकारान को नहीं दिया जाना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 1417/2015 बअनवान हेमाराम वगैरा बनाम केसीदेवी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 09.05.2018 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर रास्ता हेतु नियमानुसार मौका दिखवाकर रिपोर्ट प्राप्त करे तथा प्रार्थी के लिए रास्ते हेतु निकटतम/लघुतम दूरी के विकल्प को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत पुनः आदेश पारित करे।

4/11/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/11/2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर